

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0310-4 (मु0)-3054-04-37/2021 - 1099

/पटना, दिनांक-31/3/2021

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह, वि0प्र030
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

Sl. No.	DIVISION	BLOCK	NAME	Length (in Km)	Initial Rectification with Surface Renewal Cost. (in Lakhs)	Five year routine Maintenance cost (in Lakhs)	Emergent Repair Cost (in Lakhs)	Total Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hajipur	Lalganj	Lalganj Jalapur Varve Ghat Path Tak	7.120	157.830	62.980	15.780	236.590
2	Hajipur	Vaishali	Madna Kachhari Tola To rampur Juravan PMGSY Tak	3.600	82.780	33.920	8.270	124.970
3	Hajipur	Lalganj	Anripur To Jaitipur	3.520	83.570	32.700	8.360	124.630
4	Hajipur	Lalganj	Pojhiyon To Vasanta	2.605	60.260	23.550	6.030	89.840
5	Hajipur	Vaishali	Kamtaujiya Idgah To Phurpur More	2.301	51.710	20.800	5.170	77.680
6	Hajipur	Lalganj	Yusufpur Panchayat Bhawan Ke Nika To Paswan Tola Via Besik School	2.280	52.940	20.190	5.290	78.420
7	Hajipur	Vaishali	Dhampur To Chintamanipur Samudayik Bhawan	2.100	53.970	20.620	5.400	79.990
8	Sikamari	Majorganj	MDR To Kuari Madan	2.600	48.680	21.810	4.860	75.350
9	Sikamari	Majorganj	Kuwari Madan To Madhopur Malaniya	2.750	58.900	24.930	5.890	89.720
10	Sikamari	Majorganj	Ratanpur to Basbitta Path	3.700	71.240	31.670	7.120	110.030
11	Sikamari	Majorganj	Basbitta To Rasulpur	4.100	100.800	34.420	10.080	145.300
12	Sikamari	Parthur	Baya Se Phulhata Tak	1.540	62.610	13.430	6.260	82.300
13	Sikamari	Parthur	Malchandi To Chandrapur	1.690	85.080	15.280	8.500	108.860
14	Sikamari	Parthur	Majrahi To Chandi Rajwan Bazar Path	3.713	101.840	31.520	10.180	143.540
15	Sikamari	Parthur	Manikpur Mashoria to RamBelaji	3.800	104.970	33.110	10.490	148.570

S.L.No.	DIVISION	BLOCK	NAME	Length (in Km)	Initial Rectification with Surface Renewal Cost (in Lakhs)	Five year routine Maintenance cost (in Lakhs)	Emergency Repair Cost (in Lakhs)	Total Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Pakridiyal	Patahi	Patahi Yado Kodariya REO Road to Kahu Pakar via Belahiran	2.450	69.265	25.565	6.927	101.757
122	Pakridiyal	Pakridiyal	Sunderpatti to Majhar	2.200	56.152	23.294	5.615	85.061
123	Pakridiyal	Patahi	Shikarganj patahi road to Bakas Urif Durri Gobind	2.200	52.508	22.766	5.251	80.525
124	Pakridiyal	Pakridiyal	Pakridiyal Sunderpatti to Jithaura Via Itwa Sirts	1.620	54.451	17.195	5.445	77.091
125	Pakridiyal	Patahi	Kodariya to Madhubani	1.800	50.866	18.902	5.087	74.855
126	Siwan-1	Siwan	Main Road me Bagra More se Jyay Tedwa	4.750	126.020	45.118	12.602	183.740
127	Siwan-1	Siwan	Siwan Gopalganj almor se Karanpura ramnagar hote hue Kastopali hote sarsa Path	2.925	96.547	26.331	9.655	132.533
128	Siwan-1	Hosonpura	Aranda se Telkathu	3.400	81.537	27.730	8.154	117.421
129	Siwan-1	Raghunathpur	Turi to Gabbhar	3.000	73.828	28.604	7.383	109.815
130	Siwan-1	Hosonpura	Mahapur to Paur	2.600	61.667	24.280	6.167	92.114
131	Sonepur	Dighwara	Babhan Gawan to Akalpur	10.250	158.868	114.300	15.887	289.055
132	Sonepur	Parsa	Parsa bankerwa PWD road ml college to larnhiya dhala (-with Drain)	3.900	154.059	42.465	15.406	211.930
Total				525.882				20132.950

- संबंधित कार्यपालक अभियंता, योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्रि एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-31.03.21 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-37/2021 में अनुमोदन प्राप्त है।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृतिप्राप्त प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ०-4 (मु०)-3054 04-37/2021 के पृ०- 10/टि० पर दिनांक- 31.03.2021 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ms
31.03.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-37/2021 - 1099 /पटना, दिनांक- 31/03/2021
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

1/31.03.21

उप सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-37/2021 - 1099 /पटना, दिनांक- 31/03/2021
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं
विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण
कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप
विकास आयुक्त, /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव
बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य
विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, /संबंधित कार्यपालक
अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं
आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/31.03.21

उप सचिव

Res